झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः– नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनीसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) के अंतर्गत खूँटी शहरी जलापूर्त्ति योजना हेतु आमंत्रित निविदा में विश्व बैंक के Procurement regulations के अनुसार प्रथम बार में एकल सक्षम निविदादाता M/s Shriram EPC Limited, Chennai द्वारा निविदित राशि रू 59,54,71,730/– जो स्वीकृत प्राक्कलित दर से 13.38% अधिक है पर कार्य आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

5020
11/10/18

भारत के संविधान के 74वें संशोधन के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार राज्य के नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इसी आलोक में खूँटी शहरी जलापूर्ति योजना का सूत्रण किया गया है, जो विश्व बैंक संपोषित JMDP के अंतर्गत है। इसकी प्राक्कलित राशि रु0 57,09,07,186/– मात्र है।

2. खूँटी शहरी जलापूर्ति योजना को पाँच वर्षों के रखरखाव के साथ कुल रू0 57,09,07,000/– की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 16.10.2017 को तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार से प्राप्त है। इस स्वीकृत राशि में रू0 52,51,95,303.32 निविदा के लिए आमंत्रित अवययों (BOQ) के लिए है। योजना को कुल रू० 57,09,07,186 (संतावन करोड़ नौ लाख सात हजार एक सौ छियासि) हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक 07.02.2018 को हुई बैठक में प्राप्त हुई थी।
3. खूँटी शहरी जलापूर्ति के कार्यों हेतु जुडको लि0 द्वारा दिनांक– 19.02.2018 को ई–निविदा द्वारा प्रथम निविदा आमंत्रित की गई थी। इस निविदा में सिर्फ दो निविदादाताओं ने भाग लिया, जिनमें से एक यथा M/s Sriram EPC Limited, Chennai ही तकनीकी रूप से सक्षम पाए गए। तकनीकी मुल्यांकन के पृष्ठों को विश्व बैंक से दिनांक 30–05–2018 के ई–मेल से साझा किया गया जिसमें यह बताया गया कि सिर्फ एक निविदादाता ही तकनीकी रूप से सक्षम पाया गया है। अतः झारखण्ड सरकार के PWD Code 2012 के पारा संख्या – 163(b); Note 4 (जिसका जिक्र निम्नवत् है) में उल्लेख्ति प्रावधान के मुताबिक प्रथम निविदा की स्थिति में एकल सक्षम निविदा होने पर निविदा को रद्द किया जा सकता है:

   "In case of single tender, the tender process should be cancelled and re-tendered. If in retender, again a single bid is received, the approval of the next higher authority will be taken" [163 (b)]

4. ई–मेल का जवाब देते हुए विश्व बैंक ने अपने ई–मेल दिनांक 12–06–2018 को विश्व बैंक के Procurement regulations के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि, विश्व बैंक तथा Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi के बीच हुए करार के तहत विश्व बैंक संपोषित परियोजनाओं में विश्व बैंक के Procurement regulations को राज्य के PWD Code के नियमों पर तरजीह दी जाएगी। विश्व बैंक के Procurement regulations Para 5.59 में निम्नलिखित उल्लेख्ति है:

   "Lack of competition shall not be determined solely on the basis of the number of Bidders/Proposers. Even when only one Bid/Proposal is submitted, the process may be considered valid, if:

a) The procurement was satisfactorily advertised;
b) The qualification criteria were not unduly restrictive; and
c) Prices are reasonable in comparison to market values."

5. विश्व बैंक ने झारखण्ड सरकार के PWD Code 2012 के पारा संख्या – 163(d) (जिसका जिक्र निम्नवत् है) का भी जिक्र अपने ई–मेल में किया हैए जिसके अनुरुप बाहय् वित्त पोषित योजनाओं में भारत सरकार/डोनर ऐजेंसी के दिशानिदेशों का पालन करना यथोचित है:

"In case of Externally Aided Projects (EAP) guidelines of the Government of India/Donor Agency as applicable will be followed." [163 (d)]

6. विश्व बैंक के उपरोक्त वर्णित ई–मेल के आलोक में M/s Sriram EPC Limited, Chennai के Financial Bid को खोला गया।

7. केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार के सर्कुलर संख्या – 12/10/11 दिनांक – 28/10/2011 में भी यह उल्लेखित है कि विश्व बैंक संमपोषित परियोजनाओं में विश्व बैंक के दिशा निदेशों का ही पालन किया जाना चाहिए:

"It has been decided after due consideration, that in so far as the World Bank Projects and other international funding agencies such as IMF, ADB etc. are concerned, the department /organizations have no other alternative but to go by the criteria prescribed by the World bank/concerned agencies and the commission's instruction would not be applicable specifically to those projects. However, the instructions of the CVC will be binding on purchases/sales made by the departments within the country. The CVC's instructions of 18/11/98 will apply even if they are made with source outside the country and if they are within the budget provisions and normal operations of the Department/Organisations."

8. M/s Sriram EPC Limited, Chennai द्वारा निविदित राशि परियोजना के प्राक्कलित राशि से 13.38% अधिक थी। निविदादाता ने दिनांक 04.07.2018 को निविदित दर की प्रमाणिकता के लिए हुई निविदा समिति की बैठक में यह सूचित किया कि खूँटी शहरी जलापूर्ति परियोजना के अन्तर्गत खूँटी नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी घरों में मीटर कनेक्शन के साथ 24X7 जलापूर्ति की सुविधा दी जायगी साथ ही अपने दर की प्रमाणिकता के लिए लिखे पत्र (SEPC/JUIDCO/2017-18/KHUNTI WSS/Evaluation/01 dated 04.07.2018) के द्वारा यह भी सूचित किया है कि जलापूर्ति परियोजना का रख–रखाव, परियोजना के क्रियान्वयन के बाद शुरु होगा यानि कि 2021 से शुरु होकर 2025 तक होगा और उन्होंने 2021–25 तक के जनसंख्या का आकलन 2018 के सापेक्ष में किया है तथा रख–रखाव के दौरान उपभोक्ताओं को होने वाली जलापूर्ति की मात्रा, रख–रखाव के लिए उपयोग की जाने वाली रसायन का खर्च तथा परिचालन के लिए आवश्यक बिजली के खर्च का आकलन प्रति किलोलिटर के आधार पर किया गया है। अतः उनके द्वारा निविदित राशि तर्कसंगत है।

9. विश्व बैंक ने अपने ई–मेल दिनांक 01.08.2018 द्वारा SOR-2016 के दरों को 5% प्रति वर्ष के मुद्रास्फिति पर लगभग 10% कम मानते हुए निविदा को रद्द करने से न केवल मना किया, पर मुद्रास्फिति के मद्देनजर इसका पुनः विश्लेषन SOR-2018 के दरों से करने को कहा। विश्व बैंक का ई–मेल अनुलग्नक–6 पर है। तद्नुसार पेय जल तथा स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार के नए संसुचित SOR-2018 के दरों से निविदा की राशि की तुलना करने पर 13.38: अधिक दर की इस राशि को सिर्फ 6.77% ही अधिक पाया गया।

10. विश्व बैंक के ई–मेल द्वारा निविदा रद्द नहीं करने और मुद्रास्फिति के मद्देनजर इसका पुनः विश्लेषण SOR-2018 के दरों से करने के निर्देश पर तैयार की गई तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित तालिका में दी जा रही है:

5020
11/10/18

(Amount in Rs.)

Particulars	Technical Sanctioned Amount (Based on JSOR 2015-16)	JSOR 2018-19	Tendered Amount	% (Above/Below)	
				wrt JSOR 2015-16	wrt JSOR 2018-19
CAPEX	42,28,92,357	45,35,22,611	48,14,04,411	13.84	6.15
OPEX (O&M for 5 yrs)	1,00,03,105	10,18,86,827	11,33,39,319	13.34	11.24
Env. Mgmt. Cost	22,99,840	22,99,840	7,28,000	-68.35	-68.35
Grand Total	52,51,95,302	55,77,09,278	59,54,71,730	13.38	6.77

11. उक्त कार्य को पूर्ण करने की अवधि 24 महीने है जिसके पश्चात् पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव की जिम्मेवारी भी संबंधित निविदादाता की ही होगी।
12. निविदा की बैधता 120 दिन ही थी जिसे विश्व बैंक एवं सक्षम निविदादाता M/s Sriram EPC Limited, Chennai की सहमति से अगले 60 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। जिसकी बैधता दिनांक 07–11–2018 तक है।
13. प्रस्तावित परियोजना के निर्माण की लागत राशि (CAPEX) रु0 47,09,04,080/- है एवं इसके रख–रखाव की राशि (OPEX) रु0 10,00,03,106/- है। विश्व बैंक के दिशा–निर्देषों के अनुसार उपर्युक्त परियोजना के लागत एवं रख--रखाव की राशि (CAPEX+OPEX) का वित्त पोषण निम्नलिखित स्रोतों से किया जाएगा:

(Amount in Rs.)

	Approved Project Cost	World Bank Share	State Share	ULB Share
CAPEX	47,09,04,000/-	32,96,32,800/- (70%)	14,12,71,200/- (30%)	-
OPEX	10,00,03,000/-	3,86,17,110/- 70% of Non ULB Share	1,65,50,190/- 30% of Non ULB Share	4,48,35,700/- ULB Share
TOTAL	57,09,07,000/-	36,82,49,910/-	15,78,21,390/-	4,48,35,700/-

14. परियोजना की लागत एवं रख–रखाव की राशि (CAPEX+OPEX) का 36,82,49,910/- विश्व बैंक से ऋण के रूप में, 15,78,21,390/- रु0 राज्यांश के रूप में एवं 4,48,35,700/- रु0 शहरी निकाय द्वारा देय होगा। 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का भी उपयोग शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा अपने अंशदान के रूप में किया जा सकेगा।
15. उपर्युक्त परियोजना (5 वर्षों के रख–रखाव हेतु) व्यय होने वाली राशि (OPEX) का वहन विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त राशि, निकाय द्वारा जल उपभोग–शूल्क (Water user charges) के रूप में वसूली गई राजस्व राशि एवं राज्य योजना अंतर्गत पेयजल जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान मद' अथवा अन्य किसी सुसंगत बजटीय शीष से किया जाएगा।
16. विश्व बैंक से प्राप्त निदेश के आलोक में JMDP अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु जुडको में प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग बैंक खाते का संधारण किया जाएगा, जिसमें राशि का हस्तांतरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। परियोजना का कार्यान्वयन आरंभ होने के उपरान्त उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग संबंधित परियोजना के बैंक खाते से विपत्रों के भुगतान के लिए किया जाएगा। तदनुसार विपत्रों के भुगतान के पश्चात् claim form CAAA (सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग),

Ministry of Finance(DEA) को समर्पित किया जाएगा, जिसके द्वारा राज्य सरकार को अनुमान्य व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

17. उपरोक्त परियोजना के विभिन्न अवयवों के निर्माण हेतु खूँटी नगर पंचायत के पास आवश्यक भू–खंड उपलब्ध है।

18. उपरोक्त विवरणी के परिपेक्ष्य में खूँटी शहरी जलापूर्ति परियोजना के लिएः–

    क) प्रथम निविदा की स्थिति में एकल सक्षम निविदा होने पर भी निविदा की मान्यता, एवं

    ख) निविदा दाता M/s Sriram EPC Limited, Chennai को प्राक्कलित राशि से SOR-2016 के आधार पर 13.38% अधिक जो कि SOR-2018 के आधार पर सिर्फ 6.77% ही अधिक है, पर कार्य आवंटित करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

19. उपरोक्त वर्णित प्रस्तावों पर मंत्रीपरिषद की दिनांक 03.10.2018 को संपन्न हुई बैठक में मद संख्या – 12 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 5/न०वि०/शहरी जलापूर्ति (खूँटी)–02/2016...5020... राँची, दिनांकः–...11/10/18

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–5/न०वि०/शहरी जलापूर्ति (खूँटी)–02/2016...5020... राँची, दिनांकः–...11/10/18

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव,झारखण्ड/निदेशक,राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक,नगरीय प्रशासन निदेशालय/विशेष सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप–सचिव, सभी अवर–सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग /सम्बंधित प्रमण्डलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, खूँटी नगर पंचायत/अध्यक्ष, खूँटी नगर पंचायत/परियोजना निदेशक (प्रशासन), जुडको लिमिटेड/श्री कुणाल, वेब मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।